

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश

248

का0अ0सं0- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

पटना, दिनांक- 16-9-16

भवन निर्माण से सम्बन्धित निविदाओं की तकनीकी एवं वित्तीय बीड के बारे में प्राप्त परिवादों की समीक्षा एवं निष्पादन हेतु निम्नवत व्यवस्था लागू होगी:-

निविदा संबंधी परिवादों का निस्तार, निविदाओं के निष्पादन के लिए सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के प्राधिकार द्वारा किया जायेगा, परन्तु रु0 350.00 लाख से अधिक की निविदाओं से सम्बन्धित परिवादों का निस्तार विभागीय निविदा समिति द्वारा ही किया जायेगा।

2. रु0 70.00 लाख से रु0 350.00 लाख तक की निविदा संबंधी परिवादों का निस्तारण अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। रु0 3.50 लाख से लेकर रु0 70.00 लाख तक की निविदाओं से सम्बन्धित परिवादों का निष्पादन मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। रु0 3.50 लाख तक की निविदाओं से सम्बन्धित परिवादों का निस्तार अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

3. अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में समिति निम्नवत गठित होगी:-

- (i) अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग अध्यक्ष
- (ii) विभाग के निगरानी प्रशाखा के वरिय पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून) सदस्य
- (iii) एक असम्बद्ध मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग सदस्य
- (iv) निदेशक (अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग सदस्य
- (v) अभियंता प्रमुख के सचिव (प्रावै0), भवन निर्माण विभाग सदस्य
- (vi) सम्बन्धित मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग सदस्य

असम्बद्ध मुख्य अभियंता के रूप में मुख्य अभियंता, उत्तर तथा दक्षिण विभाग से सम्बन्धित निविदाओं के मामले में मुख्य अभियंता, पटना भाग लेंगे। मुख्य अभियंता, पटना से सम्बन्धित निविदाओं के मामले में मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार भाग लेंगे।


4. निविदा की प्रक्रिया में अत्यधिक खुलापन एवं पारदर्शिता हर स्तर पर सुनिश्चित की जानी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्यतः पालन किया जायेगा।

(i) तकनीकी निविदा निष्पादन हेतु आयोजित सक्षम निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही बैठक की तिथि के चौबीस घंटे के अंदर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा के असफल होने के विस्तृत कारणों को भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(ii) निविदा निष्पादन समिति की कार्यवाही के विरुद्ध कोई भी पक्षकार/नागरिक सात दिनों के अंदर आपत्ति/दावा दायर कर सकेंगे। इस प्राप्त आपत्ति/दावा पर सक्षम निविदा निष्पादन प्राधिकार द्वारा विचार किया जायेगा।

(iii) निविदा निष्पादन समिति द्वारा लिया गया निर्णय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। तब वित्तीय बीड खोली जाएगी एवं इसके फलाफल को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


14/9/16
(राजेन्द्र प्रसाद चौधरी)

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

24/4/16

ज्ञापांक- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

9140 (8)

पटना,दिनांक- 16-9-16

प्रतिलिपि- सभी मुख्य अभियंता(विद्युत सहित)/ सभी अधीक्षण अभियंता(विद्युत सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता,भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

9140 (8)

पटना,दिनांक- 16-9-16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक,अनुश्रवण सह मूल्यांकन सह कय कोषांग/उप सचिव(बजट),भवन निर्माण विभाग,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

9140 (8)

पटना,दिनांक- 16-9-16

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/पथ निर्माण विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

9140 (8)

पटना,दिनांक- 16-9-16

प्रतिलिपि- माननीय उप मुख्य (भवन निर्माण)मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भ0/अभि0प्र0(यो0)-2-विविध-55/2016

9140 (8)

पटना,दिनांक- 16-9-16

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर,भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

✓ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

14.9.16